

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),
गोपालगंज, खगड़िया, मधुबनी, बेगुसराय, बक्सर, गया, लखीसराय, पूर्णियाँ, पूर्वी चम्पारण, प०
चम्पारण, दरभंगा, अरवल, सारण, रोहतास, नवादा, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार एवं सहरसा।

पटना, दिनांक- 09/03/17

विषय:- नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर विभिन्न तैयारियों हेतु तत्काल राज्य के
19 जिलों को कुल ₹544.56779 लाख (पाँच करोड़ चौवालीस लाख छप्पन हजार सात
सौ उनासी रु०) मात्र का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक- 5992, दिनांक- 25.07.2016 द्वारा आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने हेतु मतदान से संबंधित विभिन्न कार्यों की अग्रिम तैयारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) से राशि के व्यय का आकलन कराकर उन्हें राशि आवंटित करने का निदेश दिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक- 5144, दिनांक- 08.08.2016 एवं पत्रांक- 7426, दिनांक- 13.10.2016 द्वारा सभी निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) से अधियाचना प्राप्त की गयी। प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०- 194, दिनांक- 28.12.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 195, दिनांक- 28.12.2016 द्वारा 19 जिलों को कुल ₹620.92500 (छः करोड़ बीस लाख बानवे हजार पाँच सौ रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका है।

2. द्वितीय अनुपूरक आगणन से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्वाचन मद में व्यय हेतु ₹20.00 करोड़ प्राप्त किया गया है। वित्त विभाग के पत्रांक- 1211, दिनांक- 15.12.2016 द्वारा उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. वर्णित स्थिति में आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने हेतु मतदान से संबंधित विभिन्न कार्यों की तैयारी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि में से पूर्व में 19 जिलों को आवंटित राशि के अतिरिक्त शेष 19 जिलों के जिला पदाधिकारियों से प्राप्त अधियाचना/माँग पत्र एवं विभागीय राज्यादेश सं०- 247 दिनांक- 09/03/17 के आलोक में कुल ₹544.56779 लाख (पाँच करोड़ चौवालीस लाख छप्पन हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित किया जाता है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए याचित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आवंटित राशि
1	2	4	5
1	गोपालगंज	64,123.00	64,123.00

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

9. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.17 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Signature) 9.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/नि०निर्वा०आ०-19-02/08 248 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक-09/03/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वित्त (बजट शाखा), विभाग, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-2 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

(Signature) 9.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

(Signature)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 09/03/17

विषय:- नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर विभिन्न तैयारियों हेतु तत्काल राज्य के 19 जिलों को कुल ₹544.56779 लाख (पाँच करोड़ चौवालीस लाख छप्पन हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक- 5992, दिनांक- 25.07.2016 द्वारा आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने हेतु मतदान से संबंधित विभिन्न कार्यों की अग्रिम तैयारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) से राशि के व्यय का आकलन कराकर उन्हें राशि आवंटित करने का निदेश दिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक- 5144, दिनांक- 08.08.2016 एवं पत्रांक- 7426, दिनांक- 13.10.2016 द्वारा सभी निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) से अधियाचना प्राप्त की गयी। प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०- 194, दिनांक- 28.12.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 195, दिनांक- 28.12.2016 द्वारा 19 जिलों को कुल ₹620.92500 (छः करोड़ बीस लाख बानवे हजार पाँच सौ रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका है।

2. द्वितीय अनुपूरक आगणन से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्वाचन मद में व्यय हेतु ₹20.00 करोड़ प्राप्त किया गया है। वित्त विभाग के पत्रांक- 1211, दिनांक- 15.12.2016 द्वारा उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. वर्णित स्थिति में आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने हेतु मतदान से संबंधित विभिन्न कार्यों की तैयारी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि में से पूर्व में 19 जिलों को आवंटित राशि के अतिरिक्त शेष 19 जिलों के जिला पदाधिकारियों से प्राप्त अधियाचना/मॉंग पत्र के आलोक में कुल ₹544.56779 लाख (पाँच करोड़ चौवालीस लाख छप्पन हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए याचित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए स्वीकृत राशि
1	गोपालगंज	64,123.00	64,123.00

2	खगड़िया	16,29,706.00	16,29,706.00
3	मधुबनी	4,00,000.00	4,00,000.00
4	बेगुसराय	45,00,000.00	45,00,000.00
5	बक्सर	40,00,000.00	40,00,000.00
6	गया	15,00,000.00	15,00,000.00
7	लखीसराय	35,60,550.00	35,60,550.00
8	पूर्णियाँ	10,00,000.00	10,00,000.00
9	पूर्वी चम्पारण	86,52,400.00	86,52,400.00
10	प० चम्पारण	6,50,000.00	6,50,000.00
11	दरभंगा	1,15,00,000.00	1,15,00,000.00
12	अरवल	20,00,000.00	20,00,000.00
13	सारण	40,00,000.00	40,00,000.00
14	रोहतास	40,00,000.00	40,00,000.00
15	नवादा	20,00,000.00	20,00,000.00
16	मधेपुरा	15,00,000.00	15,00,000.00
17	किशनगंज	15,00,000.00	15,00,000.00
18	कटिहार	5,00,000.00	5,00,000.00
19	सहरसा	15,00,000.00	15,00,000.00
कुल योग		5,44,56,779.00	5,44,56,779.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹544.56779 लाख (पाँच करोड़ चौवालीस लाख छप्पन हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि ₹544.56779 लाख (पाँच करोड़ चौवालीस लाख छप्पन हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 (गैर योजना), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उप शीर्ष-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष-13 01-कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं०- N 2015001090001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

5. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 1211, दिनांक- 15.12.2016 (द्वितीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार बिहार पटना को भेजते हुए उसकी प्रति इस विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं०- तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी इस विभाग को निश्चित रूप से भेजा जाय।

6. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जाएगा।
7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोचक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
8. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
9. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.17 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/नि०निर्वा०आ०-19-02/08 के पृष्ठ सं०- 189/टि० पर दिनांक- 9/3/17 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 189/टि० पर दिनांक- 9/3/17 को प्राप्त है।
11. इसकी सूचना सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/नि०निर्वा०आ०-19-02/08 247 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक- 09/03/17

प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वित्त (बजट शाखा), विभाग, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-2 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के विशेष सचिव।

21/03/17